हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

चौदहवां सत्र

वीरवार, 16 मार्च, 2017/25 फाल्गुन, 1938(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित:**

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए
} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) **अतारांकित:**

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

(1) **श्री जी0 एस0 बाली, खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय, वाकनाघाट का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** बीज़ अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज़ एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा परिषद् का वार्षिक लेखा एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **169वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 153वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **170वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 154वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति का **68वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) 31 मार्च, 2012 में इंगित ऑडिट पैरों की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश कृषि पैकेजिंग इंडिया सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी ।

(3) **श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

(i) समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **परिवहन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति के **49वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) (वर्ष 2006-07) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बने 24वें कार्रवाई प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. **वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमान:-**

सामान्य चर्चा ।

शिमला-171 004 | सुन्दर सिंह वर्मा,
दिनांक: 15 मार्च, 2017 | सचिव ।

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)